उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

शुक्रवार, 08 फाल्गुन, शक संवत्, 1930

(दिनांक : 27 फरवरी, 2009)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी "क")।
2. प्रश्न (देखिए नत्थी "ख")।
3. निधन के निदेश।
4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
5. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
6. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
7. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
8. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

   (कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-''ग'')
9. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
10. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)
11. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।
12. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

13. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993) (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

14. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

15. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

16. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

17. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

18. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

19. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

20. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

21. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

22. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

23. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

24. श्री केदार सिंह फोनिया द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेत्तर चर्चा एवं मतदान :-

"यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2009 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है"

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी "घ")

25. संसदीय कार्य मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जिला उत्तरकाशी के रवांई, जिला चमोली के जोशीमठ, जिला टिहरी के जौनपुर तथा जिला पिथौरागढ़ के मुनस्यारी एवं धारचूला के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश कर दी जाय।"

26. संसदीय कार्य मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में बसे बंगाली समुदाय के नमोशुद्र, पौण्ड, माझी जाति के व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता के हों, को उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने की संस्तुति कर दी जाय।"

27. श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को प्रस्तुत निम्न संकल्प पर चर्चा जारी :-

श्री चन्दन राम दास — ''यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जिला नैनीताल में उत्तराखण्ड का कोटा दुगुना किया जाय ताकि युवाओं में सेना में अधिकारी बनने की रूचि बढ़ सके।''

28. निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :-

1. श्री पुष्पेश त्रिपाठी — ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड प्रदेश की राजधानी चन्द्रनगर (गैरसैंण) घोषित की जाय''

2. श्री सुरेन्द्र राकेश — ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा में एकरूपता के लिए समान शिक्षा नीति बनायी जाए''

29. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

30. ''उत्तराखण्ड परिवहन निगम में सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेंशन दिये जाने हेतु अपनायी जा रही दोहरी नीति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में'' डा0 हरक सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2009 को दी गई सूचना पर, परिवहन मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

31. ''जनपद उत्तरकाशी में लोहारीनागपाला जल विद्युत परियोजना निर्माण कार्य बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में'' श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2009 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

32. ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढांग के ग्राम निहन्दपुर सुठारी बांण गंगा बारवरपुर के घाट व टांडा महतौली में हो रहे अवेध खनन के संबंध में'' हाजी तसलीम अहमद, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2009 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य।

33. प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 में प्रशिक्षणार्थियों के गृह जनपदों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर तैनाती के सम्बन्ध में'' श्री केदार सिंह रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2009 को दी गई सूचना पर, शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य।

34. जन-गण-मन। (देखिए नत्थी "ङ")

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 27 फरवरी, 2009

(महेश चन्द्र)
सचिव।

प्रथम सत्र, 2009
का प्रथम शुक्रवार

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

शुक्रवार, 08 फाल्गुन, शक संवत्, 1930

(दिनांक : 27 फरवरी, 2009)

नत्थी "क"

अल्पसूचित प्रश्न

श्री सुरेन्द्र राकेश 05.02.2009	** क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आसवित तथा अन्य प्रदेशो से क्रय की जा रही देशी एवं विदेशी मदिरा की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं? क्या यह सत्य है कि प्रदेश मे निर्मित की जा रही तथा अन्य प्रदेशो से आयात की जा रही मदिरा की गुणवत्ता सुनिश्चित न किए जाने के कारण जहरीली मदिरा के सेवन से देहरादून नगर मे फरवरी 2009 के प्रथम सप्ताह मे तीन स्कूली छात्र बेहोश हो गए थे? यदि हॉ, तो इसके तुरन्त रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जाएगे? यदि नहीं, तो क्यों?	आबकारी

नत्थी "ख"

तारांकित प्रश्न

श्री सुरेन्द्र राकेश 29.01.2009	*1. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2008 में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति घोषित होने के पहले कितने शिक्षकों के स्थानान्तरण किन माप दण्डों के आधार पर किए गये? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि स्थानान्तरण नीति की घोषणा के उपरान्त कितने स्थानान्तरण किये गये? क्या यह सत्य है जनपद हरिद्वार में किये गये इन स्थानान्तरणों में घोषित नीति से विचलन किया गया है? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन है?	शिक्षा
श्री राजेश जुवांठा 30.01.2009	*2. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड प्रदेश में बन्धुआ मजदूरो को चिन्हित किया गया है? यदि हॉ, तो सम्पूर्ण राज्य में कितने बन्धुंआ मजदूर हैं तथा इनकी संख्या कितनी है? क्या सरकार बन्धुआ मजदूरों की विमुक्ति हेतु कोई ठोस विचार कर रही है? यदि हॉ, तो कब तक यदि नही, तो क्यों?	श्रम
श्री प्रीतम सिंह 03.02.2009	*3. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियमों की स्थापना करने जा रही हैं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? क्या सरकार की राजधानी के परेड ग्राउन्ड में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम को बनाने की कोई योजना है? यदि नहीं तो क्यों?	खेल
श्री प्रीतम सिंह 03.02.2009	*4. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित मिड–डे मील की वर्तमान व्यवस्था में सरकार कोई परिवर्तन करने जा रही है? यदि हॉ, तो क्या?	शिक्षा
श्री शैलेन्द्र सिंह रावत 03.02.2009	*5. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों में बड़ी संख्या में कम्प्यूटर लगाये गये हैं किन्तु इनके सापेक्ष न तो कम्प्यूटर विषय को मान्यता दी है न ही इन विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षकों को तैनात किया गया है? यदि हॉ, तो कम्प्यूटर लगाये जाने का औचित्य एवं प्रयोजन क्या है? सरकार कब तक कम्प्यूटर विषय को मान्यता प्रदान करते हुए कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी? यदि नही, तो क्यों ?	शिक्षा
श्री मयूखमहर 06.02.2009	*6. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कुमायूॅ मण्डल के हल्द्वानी लेबर ट्रिब्यूनल में श्रमिकों और उद्योगों के कितने विवादित मामले लम्बित है तथा उनका वर्ष वार व्यौरा क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कब से लेबर ट्रिब्यूनल हल्द्वानी में सक्षम अधिकारी की नियुक्ति नही की गयी है और क्यो?	श्रम

श्री सुरेन्द्र राकेश 06.02.2009	*7. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून में गत पांच वर्षो या उससे अधिक समय से कितने अधिकारी तैनात है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि एक ही स्थान पर इतनी लम्बी अवधि तक तैनाती के क्या कारण हैं? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों को अन्य जनपदों में स्थानान्तरण करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसमें क्या कठिनाई है?	**शिक्षा**
श्री सुरेन्द्र राकेश 06.02.2009	*8. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि वरिष्ठता सूची को अनदेखा कर शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी के पदों पर प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनाती दी गई है? यदि हां, तो क्या सरकार तैनात अधिकारियों की वर्गवार सूची सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री किशोर उपाध्याय 09.02.2009	*9. क्या आबकारी मंत्री अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश को मद्य निषेध प्रदेश घोषित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**तृतीय गुरू के तारा0 7 में स्था0**
श्री किशोर उपाध्याय 09.02.2009	*10. क्या शिक्षा मंत्री अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के निजी क्षेत्र के विद्यालयों में विद्यार्थियों से शुल्क निर्धारित करने के सम्बन्ध में सरकार ने नीति अथवा दिशा निर्देशों का निर्धारण किया है? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री मयूखमहर 09.02.2009	*11. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग द्वारा प्रदेश में शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु कोई नीति बनायी गयी है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है? क्या यह सत्य है कि उक्त नीति में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि नव नियुक्त शिक्षक अपनी नियुक्ति स्थल पर तीन साल तक बने रहेंगे? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पिथौरागढ़ जनपद में कितने शिक्षकों को नियुक्ति अवधि के तीन वर्षो से पूर्व ही अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया है और क्यों?	**शिक्षा**
श्री प्रीतम सिंह 11.02.2009	*12. क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए सरकार की कोई कार्य योजना हैं? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	**आबकारी**

अतारांकित प्रश्न

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत 27.01.2009	1. क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अवगत है कि कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ज0इ0कालेज मोटाढ़ाक में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया गया था? क्या यह सत्य है कि कई गम्भीर आपत्तियों के निस्तारण के सशर्त हस्तांतरण के बावजूद कार्यदायी संस्था द्वारा उन गम्भीर आपत्तियों का निस्तारण डेढ़ वर्ष बाद भी नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार कार्यदायी संस्था द्वारा की गई अनियमिताओं के दोषी अधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही तथा स्टेडियम निर्माण की गुणवत्ता की जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**खेल एवं युवा कल्याण**
श्री शैलेन्द्र सिंह रावत 30.01.2009	2. क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत कोटद्वार शहर की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है? यदि हॉ, तो सरकार कोटद्वार में राजकीय बालिका महाविद्यालय की स्थापना पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**शिक्षा**
श्री राजेश जुवांठा 02.02.2009	3. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड पुरोला में कितने राजकीय इण्टर कालेज में विज्ञान प्रयोग शालाऐं है? क्या उक्त प्रयोगशालाओं में उपकरण सम्बन्धी पूर्ण व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो उपकरणों की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?	**शिक्षा**
श्री राजेश जुवांठा 02.02.2009	4. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरकाशी जनपद के विकासखण्ड पुरोला के अर्न्तगत रा0 इ0 का0 पुरोला, हुडोली, मोल्ताडी, गुाडियालगांव (राजकीय इण्टर कालेज) में शिक्षको के कितने पद रिक्त है ? क्या सरकार उक्त सभी इण्टर कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पदो पर नियुक्ति करने पर विचार कर रही है ? यदि हॉ, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?	**शिक्षा**
श्री महेन्द्र सिंह माहरा 02.02.2009	5. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के राजकीय कन्या इन्टर कालेज बाराकोट में प्रधानाचार्य व प्रवक्ताओं के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का प्रयास कर रही है ? यदि हॉ, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?	**शिक्षा**
श्री राजेश जुवांठा 03.02.2009	6. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में ऐसे कितने राज0 इण्टर कालेज है जिनमें विज्ञान प्रयोगशालाऐं है? क्या उक्त सभी प्रयोगशालाओं मे उपकरणों की पूर्ण व्यवस्था है ? यदि नही, तो प्रयोगिक उपकरणो की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी?	**शिक्षा**

श्री राजेश जुवांठा 03.02.2009	**7.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरकाशी जनपद के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज नौगांव, गडोली, राजगढ़ी, गंगटाड़ी, बर्नीगाड़, डामठा में शिक्षकों के कितने पद रिक्त है? क्या सरकार उक्त सभी इण्टर कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री बलवीर सिंह नेगी 09.02.2009	**8.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कारगिल युद्ध में शहीद स्व0 रायफल मैन दलवीर सिंह राणा के नाम पर रा0 इण्टर कालेज ठेला नैलचामी का नाम स्व0 दलवीर सिंह राणा रखे जाने का प्रस्ताव शासन में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री मनोज तिवारी 10.02.2009	**9.** क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा विधान सभा अन्तर्गत स्व0 हेमवती नन्दन बहुगुणा स्टेडियम के विस्तारीकरण और सुधारीकरण की कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हां, तो कार्यवाही की अद्यतन स्थिति क्या है? यदि नहीं, तो क्यों	**खेल**
श्री चन्दन राम दास 03.02.2009	**10.** क्या प्रशिक्षण एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के कठनुड़िया काफलीगैर के मध्य आई0टी0आई0खोलने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो कब तक?	**प्रशिक्षण एवं सेवायोजन**
श्री ओम गोपाल रावत 03.02.2009	**11.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि प्रदेश के दोनो मण्डलों के हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक कला तथा गृह विज्ञान के जनपदवार कुल कितने पद रिक्त है तथा इन पदों पर नियुक्ति कब तक की जाएगी? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेगें कि उपरोक्त पदों पर कब से नियुक्ति नहीं की गयी एवं नियुक्ति न करने के क्या कारण थे?	**शिक्षा**
श्री ओम गोपाल रावत 03.02.2009	**12.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0 742/15–(13)–94–1499(8)/1977 दिनांक 06 सितम्बर 1994 के कम में पत्राचार बी0टी0सी0 की द्वितीय वर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण मृतक आश्रित एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से कितनों को राजकीय सेवा में लिया गया एवं शेष जिन्होने वर्ष 2007–08 में बी0टी0सी0 द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है उन में से अब तक कितनों को राजकीय सेवा में लिया गया? क्या शेष प्रशिक्षितों को भी राजकीय विद्यालयों में नियुक्ति दी जायेगी? यदि हॉ, तो कब से? यदि नही, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री महेन्द्र सिंह माहरा 03.02.2009	**13** क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि खेलों की महत्ता को देखते हुये प्रदेश स्पोर्टस कालेज में स्नातक कक्षा शुरू करने की योजना सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हॉ, तो कब से? यदि नही, तो क्यों?	**खेल**

श्री महेन्द्र सिंह माहरा 03.02.2009	**14** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कृषि विषय को पाठयक्रम में सम्मिलित किये जाने की मान्यता दी जायेगी? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों ?	**शिक्षा**
श्री प्रीतम सिंह 04.02.2009	**15.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में योग शिक्षकों को स्थाई नियुक्ति देने पर सरकार विचार कर रहीं है?यदि हॉ, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों ?	**शिक्षा**
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 04.02.2009	**16.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के कितने माध्यमिक विद्यालयों में भू–विज्ञान, वानिकी, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सांख्यकीय विषयों की इण्टर स्तर पर कक्षाएं संचालित की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?	**शिक्षा**
श्री रंजीत रावत 04.02.2009	**17.** क्या प्रशिक्षण एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेगे कि जनपद अल्मोड़ा में मछोछ आई0टी0आई0 में स्वीकृत सभी विषयों का शिक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि नही, तो क्यों ?	**प्रशिक्षण एवं सेवायोजन**
श्रीमती आशा नौटियाल 04.02.2009	**18.** क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद–अल्मोड़ा, विकासखण्ड–स्याल्दे के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उपराड़ी में अध्यापकों की कमी है? क्या यह भी सत्य है कि इस वर्ष उपरोक्त विद्यालय का परीक्षाफल सन्तोषजनक नहीं रहा? यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्र हित में उक्त विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री राजेश जुवांठा 05.02.2009	**19.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरकाशी जनपद के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज टिकोची, आराकोट, मोरी, नैटवाड़, जखोल गड्गाड़ में शिक्षकों के कितने पद रिक्त है? क्या सरकार उक्त सभी इण्टर कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री प्रीतम सिंह 05.02.2009	**20.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों को बन्द होने से रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हॉ, तो क्या? यदि नही, तो क्यों ?	**शिक्षा**
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 05.02.2009	**21.** क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि अल्मोड़ा जनपद के अन्तर्गत आदर्श इण्टर कालेज–सुरईखेत (द्वाराहाट) को इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय की मान्यता दिनांक 09.10.1972 आदेश संख्या–18688 को मिली थी? यदि हॉ, तो अभी तक उक्त विषय से सम्बन्धित प्रवक्ता के पद को सृजन न करने के क्या कारण रहे है और कब तक पद सृजित किया जायेगा? यदि नही, तो क्यों ?	**शिक्षा**

श्री पुष्पेश त्रिपाठी 06.2.2009	**22.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगें कि अल्मोंड़ा जनपद के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रा0 क0 हाईस्कूल बग्वालीपोखर एवं रा0 क0 हाईस्कूल उभ्याड़ी का उच्चीकरण किये जाने हेतु क्षेत्रीय जनता की तरफ से कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हॉ, तो कब तथा इनका उच्चीकरण कब तक हो जायेगा?	**शिक्षा**
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 06.2.2009	**23.** क्या प्रशिक्षण एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगें कि अल्मोंड़ा जनपद के चौखुटिया तहसील के अन्तर्गत मासी आई0 टी0 आई0 हेतु भवन निर्माण की प्रगति क्या है और कब तक संस्थान अपने भवन में संचालित हो जायेगा?	**प्रशिक्षण एवं सेवा योजन**
डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल 06.02.2009	**24.** क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगें कि वित्तीय वर्ष 2007– 2008 में उत्तराखण्ड सहकारी एवं राजकीय चीनी मिलों की लाभ हानि की स्थिति क्या है? क्या नुकसान की स्थिति चिन्ताजनक है? यदि हॉ, तो इस नुकसान को कम करने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है?	**गन्ना**
श्री ओम गोपाल रावत 10.02.2009	**25.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा सत्र वर्ष 2008–09 में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कुल कितने अध्यापकों के जनपदीय/अर्न्तजनपदीय/अर्न्तमण्डलीय स्थानान्तरण हुए है तथा इन स्थानान्तरणों के सापेक्ष स्थानान्तरित हुए कुल कितने अध्यापकों ने स्थानान्तरण पर योगदान दिया? क्या माह जुलाई 2008 फरवरी 2009 के मध्य कोई स्थानान्तरण हुए है? यदि हां, तो किन–किन के तथा किसके आदेश से? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के विरूद्व स्थानान्तरण करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध दंण्डात्मक कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री मयूखमहर 11.02.2009	**26.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में गत दो वर्षो में कितने पू0मा0वि0 तथा मा0वि0 का उच्चीकरण/प्रान्तीयकरण किया गया है एवं उच्चीकृत विद्यालयों का विधान सभा वार ब्यौरा क्या है?	**शिक्षा**

नत्थी "ग"

<u>कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनॉक 26 फरवरी, 2009 की बैठक में दिनॉक 27 फरवरी, 2009 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की हैः–</u>

फरवरी, 2009
27(शुक्रवार)

1. विधायी कार्य

1. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (संशोधन) विधेयक, 2009 का विचार एवं पारण । **(15 मिनट)**
2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993) (संशोधन) विधेयक, 2009 का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
3. पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
4. इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
5. देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009 का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
6. हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
7. पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2009 का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**

2 राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान।

3. संसदीय कार्य मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगें:–

(1) " इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जिला उत्तरकाशी के रवांई, जिला चमोली के जोशीमठ, जिला टिहरी के जौनपुर तथा जिला पिथौरागढ़ के मुनस्यारी एवं धारचूला के सम्पूर्ण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश कर दी जाय"।

(2) " इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में बसे बंगाली समुदाय के नमोशुद्र, पौण्ड, माझी जाति के व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता के हों, को उत्तरासखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने की संस्तुति कर दी जाय"।

4. **विगत तृतीय सत्र 2008 का लंबित असरकारी संकल्पः–**

श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा द्वारा तृतीय सत्र 2008 में दिनॉक 19 दिसम्बर, 2008 को प्रस्तुत निम्न संकल्प पर चर्चा जारी :–

(1) **श्री चंदन राम दास** ' यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जिला नैनीताल में उत्तराखण्ड का कोटा दुगना किया जाय ताकि युवाओं में सेना में अधिकारी बनने की रूचि बढ़ सके।"

5. **प्रथम सत्र 2009 के असरकारी संकल्पः–**

निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:–

(1) **श्री पुष्पेश त्रिपाठी** " इस सदन का सुनिश्चत मत है कि उत्तराखण्ड प्रदेश की राजधानी चन्द्रनगर (गैरसैण) घोषित की जाय"।

(2) **श्री सुरेन्द्र राकेश** " इस सदन का सुनिश्चत मत है कि माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा में एकरूपता के लिए समान शिक्षा नीति बनायी जाय"।

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी "घ"

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

क्र.सं. **प्रस्तावक का नाम**

1. डा0 हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष
2. श्री दिनेश अग्रवाल,
3. श्री जोत सिंह गुनसोला,
4. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियान"
5. श्री केदार सिंह रावत,
6. श्री राजेश जुंवाठा,
7. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
8. श्री महेन्द्र सिंह माहरा,
9. श्री गोपाल सिंह राणा,
10. श्री यशपाल आर्य,
11. श्री प्रीतम सिंह,
12. श्री करन माहरा,
13. श्री मनोज तिवारी,
14. श्री रणजीत रावत,
15. श्री तिलक राज बेहड़,
16. श्री मयूख महर,
17. श्री किशोर उपाध्याय।

संशोधन का रूप

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-
"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. कुम्भ मेले की तैयारियों का कोई उल्लेख नहीं है,
2. सूखे से प्रभावित कृषकों को राहत पहुंचाने के उपायों का उल्लेख नहीं है,
3. योग विषय को स्कूलों में अनिवार्य विषय बनाकर योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है,
4. वृद्ध/विधवा/विकलांगों की पेंशन बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है,
5. प्रदेश के प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई उल्लेख नहीं है,
6. 'चारधाम यात्रा' के लिए क्या योजनाएं हैं, का उल्लेख नहीं है,
7. पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए पम्पिंग योजनाओं के निर्माण का कोई जिक्र नहीं है,
8. पर्यटन के क्षेत्र में स्थानीय बेरोजगारों के लिए रोजगार की अपार संभावनायें है, का अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है,
9. स्वास्थ्य उपकेन्द्रो में डिप्लोमा फार्मेसिस्टों की नियुक्ति करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है,
10. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अभी भी रू0 3200-4900 का वेतनमान दिया जा रहा है अन्य राज्यों में यह रू0 4500-7000 है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के वेतनमान वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है,
11. एन0टी0टी0 प्रशिक्षित युवतियां पिछले 15 माह से लगातार धरना-प्रदर्शन कर रही हैं, किन्तु प्रशिक्षुओं की नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं है,

12. जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना में प्रदेश के नगरों को सम्मिलित किये जाने का जिक्र नहीं है,

13. 'सैफ गेम्स' की तैयारियों के संबंध में तैयारियों का उल्लेख नही है,

14. परिवहन निगम की दशा दयनीय बनी हुई है, नई बसों की खरीद का कोई उल्लेख नहीं है,

15. नये शहरों में आई0एस0बी0टी0 निर्माण एवं यात्री सुविधाओं का उल्लेख नहीं है,

16. नये विद्यालयों का सृजन एवं उच्चीकरण का उल्लेख नहीं है,

17. जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती का उल्लेख नहीं है,

18. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये किसी योजना का उल्लेख नहीं है,

19. अल्पसंख्यकों के लिये किसी योजना का उल्लेख नहीं है,

20. मदरसों के आधुनिकीकरण का उल्लेख नहीं है,

21. नये 'आश्रम पद्धति' विद्यालय तथा छात्रावासों के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है,

22. 'कर्मचारी समन्वय परिषद' के गठन का उल्लेख नहीं है,

23. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विजिटिंग एवं संविदा प्रवक्ताओं के समायोजन / तदर्थ नियुक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है,

24. प्रदेश के सभी ग्रामों को वर्ष-2008 तक विद्युतीकृत किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इस पर क्या प्रगति हुई, इसका उल्लेख नहीं है,

25. राज्य में दैनिक तथा वर्कचार्ज कर्मचारियों के विनियमितीकरण का उल्लेख नहीं है,

26. विद्युत विभाग में होने वाले कार्यो के ठेके प्रदेश से बाहर के बड़े ठेकेदारों को दिये जा रहे हैं, स्थानीय बेरोजगारों को सम्मिलित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है,

27. प्रदेश के किसानों एवं गरीब जनता के लिए प्राकृतिक आपदा बीमा योजना प्रारम्भ किये जाने का उल्लेख नहीं है,

28. राज्य के सार्वजनिक निगमों के कार्मिकों को छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ केन्द्रीय सार्वजनिक निगमों की भाँति करने का उल्लेख नहीं है,

29. आंगनवाड़ी कार्य कर्तियों की पदोन्नति का कोई उल्लेख नहीं है,

30. राज्य के शिक्षा आचार्यो/ अनुदेशकों/ स्वयं सेवकों को शिक्षा मित्र के रूप में समायोजित किये जाने का उल्लेख नहीं है,

31. राज्य में कार्यरत आयुर्वेदिक/ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों (संविदा) के नियमितीकरण का उल्लेख नहीं है,

32. मदरसों और संस्कृत महाविद्यालय को अनुदान दिये जाने का उल्लेख नही है,

33. पुलिस सुधार में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उप निरीक्षक तथा उससे निम्न पदों पर पद कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है,

34. शिक्षा विभाग में दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की समय सीमा का उल्लेख नहीं है,

35. शिक्षा विभाग में लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति के विषय में कोई उल्लेख नहीं है,

36. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में नई सड़कों का निर्माण, पुरानी सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण का कोई उल्लेख नहीं है,

37. प्रदेश में उद्योगों की स्थापना एवं उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए किसी योजना का जिक्र नहीं है, तथा

38. पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए पम्पिंग योजनाओं के निर्माण का कोई जिक्र नहीं है।

2. काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य की स्थाई राजधानी के संबंध में निर्णय लिये जाने,

2. राज्य में विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़तालों पर अंकुश लगाने, कर्मचारियों की मांगों पर विचार एवं यथाशीघ्र निराकरण किये जाने,

3. राज्य सरकार द्वारा यदा-कदा विभिन्न संस्थाओं से ऋण लेने पर नियंत्रण करने,

4. राज्य की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए अनियन्त्रित नॉन प्लान खर्चों पर नियंत्रण किये जाने,

5. राज्य की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने का आधुनिकीकरण किये जाने,

6. राज्य में हेरिटेज एवं 'मेडिको टूरिज्म' को बढ़ावा देने की नीति बनाये जाने,

7. राज्य के समस्त विधवाओं, वृद्धों एवं विकलांगों को पेन्शन का फार्म भरने के एक माह के अन्दर पेन्शन सुनिश्चित करने,

8. समस्त राज्यवासियों को पात्रता के अनुसार विभिन्न श्रेणी के राशन कार्ड अविलम्ब जारी किये जाने,

9. उर्दू एकेडमी का गठन किये जाने,

10. अल्पसंख्यकों को रोजगार परक शिक्षा देने,

11. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के लोगों को उनकी पुत्री की शादी के लिए मिलने वाले अनुदान को दोगुना किये जाने,

12. अरबी, फारसी मदरसों को समाज कल्याण विभाग के नियंत्रण से हटा कर शिक्षा विभाग में सम्मिलित किये जाने,

13. विद्युत वितरण हेतु स्थापित ट्रांसफार्मरों के जल जाने के 24 घंटे के अन्दर पुनः स्थापित किये जाने,

14. विद्युत वितरण में विद्युत वोल्टेज नियामक आयोग के निर्देशों के अनुसार रखने,

15. औद्योगिक क्षेत्रों में जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण पर कड़ी निगरानी रखने,

16. विश्व व्यापी मन्दी के कारण राज्य में स्थापित उद्योगों पर राज्य सरकार द्वारा लागू करों में छूट देने,

17. राज्य में स्थापित उद्योगों पर श्रम नीति को सख्ती से लागू करने,

18. जनपद हरिद्वार की वार्षिक जिला योजना को रू0 100 करोड़ करने,

19. जनपद हरिद्वार को सूखा ग्रस्त घोषित किये जाने,

20. फसलों को खराब कर रहे जंगली जानवरों (बन्दर, वनरोज) को पकड़वा कर राष्ट्रीय पार्कों में छोड़े जाने,

21. फसल की बुआई से पहले समर्थन मूल्य घोषित करने,

22. किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने,

23. सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम की हर तिमाही में मृदा परीक्षण करवा कर जांच रिपोर्ट के अनुसार फसलों हेतु उर्वरक एवं खाद की निःशुल्क सलाह दिये जाने,

24. गन्ना किसानों का गत वर्षो का भुगतान यथाशीघ्र किये जाने,

25. समस्त चीनी मिलों को इथेनोल बनाने की अनुमति दिये जाने,

26. 'एग्रो फोरेस्ट्री' को विकसित करने,

27. चकबन्दी को समयबद्ध तरीके से पूरा करने,

28. तीस साल से पुराने उद्यानों के काटने की अनुमति दिये जाने,

29. समस्त अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों पर राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डाक्टरों की नियुक्ति एवं दवा उपलब्ध कराने,

30. राज्य में हैलिकाप्टर, एंबुलेन्स उपलब्ध कराने,

31. जनपद हरिद्वार मंगलौर में अग्निशमन दल स्थापित किये जाने,

32. जनपद हरिद्वार मंगलौर में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने,

33. जनपद हरिद्वार मंगलौर में राजकीय तकनीकी संस्थान की स्थापना किये जाने,

34. जनपद हरिद्वार मंगलौर में खेल हेतु स्टेडियम की स्थापना किये जाने,

35. जनपद हरिद्वार मंगलौर में वन विभाग के चीतल पार्क में एक भव्य पर्यटक स्थल बनाये जाने,

36. जनपद हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों की सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने,

37. जनपद हरिद्वार के नारसन ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम बिझौली से मुडलाना की ओर जाने वाले राजवाहे को पुनः संचालित करने, तथा

38. जनपद हरिद्वार मंगलौर एवं बारसन के अस्पतालों में मानकों के अनुसार डाक्टरों की नियुक्ति किये जाने।

3. श्री हरिदास

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य में बेरोजगारी दूर करने के संबंध में,

2. जनपद हरिद्वार में लगे उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार दिलाने के संबंध में,

3. गरीब किसान व गरीब दलितों के घरों पर निजी कनैक्शनों पर लगे विद्युत अधिभार को घटाने के संबंध में।

4. स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का सही उपयोग किये जाने के संबंध में,

5. राज्य के कर्मचारियों के लिए छटा वेतन आयोग लागू किये जाने के संबंध में,

6. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले छूटे परिवारों का सर्वे कराने के संबंध में,

7. दलित व अनुसूचित जाति के पट्टाधारकों को उनका मालिकाना हक दिये जाने के संबंध में,

8. वन अधिकार लागू किये जाने के संबंध में,

9. अल्प संख्यकों को रोजगार परक शिक्षा दिये जाने के संबंध में,

10. अशासकीय विद्यालयों में वर्ष 2006 में हुई नियुक्ति में अध्यापकों की नई पेंशन योजना के अन्तर्गत (डी0पी0डी0खाता) कटौतियां न किये जाने के संबंध में,

11. 60 वर्ष की आयु के समस्त वृद्धों एवं विधवाओं को पेशन दिये जाने के संबंध में,

12. जनपद हरिद्वार की विधान सभा क्षेत्र लण्ढ़ौरा में एक राजकीय आई0टी0आई0 खोलने के संबंध में,

13. प्रदेश के किसानों एवं गरीब व दलित जनता के लिए प्राकृतिक आपदा बीमा योजना लागू किये जाने के संबंध में,

14. उत्तराखण्ड में घरेलू विद्युत कनैक्शनों पर सरचार्ज माफ किये जाने के संबंध में,

15. अनुसूचित जाति के बेरोजगार शिक्षित नवयुवकों को रोजगार दिये जाने के संबंध में,

16. वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के संबंध में,

17. मंहगाई रोकने के ठोस उपायों के संबंध में,

18. अनुसूचित जाति का कोटा 22 प्रतिशत व ओ0बी0सी0 का 27 प्रतिशत किये जाने के संबंध में,

19. जनपद हरिद्वार की विधान सभा क्षेत्र लण्ढ़ौरा में एक राजकीय डिग्री कालेज खोलने के संबंध में,

20. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लण्ढौरा में जलस्तर कम होने के कारण पीने के पानी हेतु हैण्डपम्प एवं सिंचाई हेतु सरकारी नलकूप लगवाये जाने के संबंध में,

21. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लण्ढौरा में राज्य योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

22. जनपद हरिद्वार में पिरान कलियर शरीफ के वार्षिक मेले को कुम्भ मेले की तरह सरकारी बजट से आयोजित किये जाने के संबंध मे, तथा

23. अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र बनाये जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने के संबंध में।

4. चौ0 यशवीर सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. हरिद्वार जनपद के कस्बा झबरेड़ा में राजकीय बालिका इन्टर कालेज को डिग्री कालेज बनाने के संबंध में,
2. इकबालपुर विधान सभा के ग्राम डेलना में ग्राम समाज की खाली पड़ी हुई लगभग 100 बीघा जमीन में पालिटेक्निक बनाने के संबंध में,
3. हरिद्वार जनपद के कस्बा झबरेड़ा के ग्राम इकबालपुर को ब्लाक बनाने के संबंध में,
4. प्रदेश के किसानों को स्वयं की जमीन से मिट्टी उठाने पर रायल्टी समाप्त करने के संबंध में,
5. प्रदेश के किसानों के अत्यधिक पुराने हो चुके बागों को काटने के संबंध में,
6. प्रदेश के किसानों को गन्ने का पिछले वर्ष का अवशेष अविलम्ब भुगतान करने के संबंध में,
7. जिला हरिद्वार और उधमसिंह नगर को सूखा ग्रस्त घोषित करने के संबंध में,
8. किसानों और मजदूरों के घर पर लगे विद्युत कनेक्शनों पर वर्षों पुराना सरचार्ज समाप्त करने के संबंध में,
9. उद्योगों में स्थानीय युवा वर्ग को रोजगार देने के संबंध में,
10. गरीब व्यक्तियों के बी0पी0एल0 कार्ड बनाने के संबंध में, तथा
11. उत्तराखण्ड की राजधानी की घोषणा करने के संबंध में।

5. श्री बलबीर सिंह नेगी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए किसी विशेष प्रभावी उपाय की घोषणा किये जाने,
2. आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु किसी प्रभावी योजना की घोषणा किया जाने,

3. राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने हेतु पूर्व में घोषित योजनाओं के क्रियान्वयन करने तथा प्रभावी नीति बनाने,

4. राजस्व पुलिस की सेवा शर्तों में सुधार करने तथा उन्हे अधिक सुविधा व अधिकार देकर दूरस्थ ग्रामीण अंचल में कानून व्यवस्था ठीक करने,

5. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में माननीय विधायकों को इस वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 कि0मी0 नवीन मोटर मार्ग निर्माण, 20 कि0मी0 डामरीकरण, 5 झूलापुल, 5 नवीन इण्टरमीडिएट कालेज, 5 नवीन हाईस्कूल, 5 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिये जाने,

6. राज्य में चिकित्सा व्यवस्था सुधार हेतु पृथक चिकित्सा नीति बनाये जाने,

7. प्रदेश में प्रशिक्षित फार्मासिस्टों, बी0एड0, बी0पी0एड0, सी0पी0एड0, डिप्लोमा इंजीनियरों तथा अन्य प्रशिक्षितों तथा उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को सेवायोजन हेतु प्रभावी कदम उठाने,

8. प्रदेश के समस्त बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,

9. प्रदेश में चीड़ की पत्तियों पर आधारित उद्योग जगह जगह लगाये जाने,

10. जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार और घुत्तु में ऊन पर आधारित उद्योग (लूम) लगाये जाने,

11. साधन समिति सचिव, संग्रह अमीनों तथा वर्षो से विभिन्न यथा लो0नि0वि0, राज्य सम्पत्ति अधिकारी कार्यालय, वन विभाग तथा निगमों में कार्यरत दैनिक व संविदा आधारित कर्मचारियों को नियमित करने तथा उन्हे राज्य कर्मचारी घोषित करने,

12. प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यो, प्रवक्ता, अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को भरे जाने,

13. सभी न्याय पंचायत केन्द्रों मिनी खेल स्टेडियम तथा जिला मुख्यालयों में आधुनिक रूप से सुसज्जित खेल स्टेडियमों की स्थापना करने,

14. आपदा प्रबन्धन विभाग को सुव्यवस्थित कर दैवीय आपदाओं से निपटने हेतु विशेष कार्य योजना बनाये जाने,

15. राज्य की वार्षिक योजना रू0 6000 करोड़ कराये जाने,

16. उत्तर प्रदेश विकल्पधारी कर्मचारियों को कार्यमुक्त किये जाने,

17. जनपद टिहरी गढ़वाल के क्यारखी बुग्याल, कुशकल्याण में सैफ खेलों को आयोजित कराने के लिए योजना बनाने,

18. जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार और घुत्तू को चार धाम यात्रा के पर्यटक सर्किट से जोड़ने,

19. तिलवाड़ा, घनसाली बूढ़ाकेदार-अंयारकाखाल-धौन्तरी-उत्तरकाशी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने,

20. टिहरी बांध प्रभावितों को समुचित पुनर्वास किये जाने,

21. टिहरी बांध से उत्पन्न बिजली की आय में राज्य को प्राप्त हो रहे 12 प्रतिशत राजस्व में से 20 प्रतिशत टिहरी बांध प्रभावितों के लिए ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए व्यय करने,

22. ड्रिलिंग द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में 500 हैण्डपम्प लगाये जाने,

23. जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार, घुत्तू, धमातोली में वातानुकूलित आलू भण्डार गृह खोले जाने,

24. गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों का ऋण माफ करने,

25. होमगार्ड के दैनिक वेतन में रू0 50 की वृद्धि करने,

26. प्रदेश के सभी अशासकीय विद्यालयों को अनुदान सूची में लाये जाने,

27. 'फलोत्पादक बीमा योजना' लागू करने,

28. जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना की समस्त बूढ़ेरा जाति को जनजाति घोषित किये जाने,

29. जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार में बुरांस के जूस निकालने का कारखाना लगाने,

30. जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली को जिला बनाये जाने,

31. राजकीय इण्टर कालेज विनकखाल, राजकीय इण्टर कालेज नौल बासर, राजकीय इण्टर कालेज भट्टगांव, राजकीय इण्टर कालेज किरेथ, राजकीय इण्टर कालेज केमरा, राजकीय इण्टर कालेज पौखाल, राजकीय इण्टर कालेज धोपड़धार, राजकीय इण्टर कालेज मुयालगांव, ठेला के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति दिलाये जाने,

32. जनपद टिहरी गढ़वाल के घुत्तू पंजा से पवांली कांठा व बूढाकेदार से ज्वालामुखी प्रस्तावित रज्जू मार्ग की वित्तीय स्वीकृति दिलाये जाने और लाटा से चूलागढ़ रज्जू मार्ग को बनाये जाने, तथा

33. जनपद टिहरी गढ़वाल अखोड़ी व विनयखा में महाविद्यालय खोले जाने।

6. हाजी तसलीम अहमद

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य में बेरोजगारी दूर करने,
2. जनपद हरिद्वार में लगे उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने,
3. जनपद हरिद्वार के ग्राम सुल्तानपुर में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने,
4. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में खेल हेतु स्टेडियम की स्थापना किये जाने,
5. जनपद हरिद्वार के ग्राम सुल्तानपुर में अग्निशमन दल स्थापित किये जाने,
6. जनपद हरिद्वार के ग्रम- मिठ्ठीबेरी को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु खासन नदी में रपटा पुल का निर्माण किये जाने,
7. अल्पसंख्यकों को रोजगार परक शिक्षा दिये जाने,
8. वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने,
9. अनुसूचित जाति, जनजाति की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान की धनराशि को दोगुना करने एवं पिछड़ी जाति के बी0पी0एल0 परिवारों को भी पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिए जाने,
10. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढांग में राज्य योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण कराये जाने, तथा
11. उत्तराखण्ड की राजधानी की घोषणा किये जाने।

7. श्री सुरेन्द्र राकेश

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. कर्मचारियों एवं शिक्षकों को छठा वेतनमान दिये जाने,
2. राज्य में स्थापित उद्योगों में स्थानीय युवकों को रोजगार दिये जाने,
3. राज्य में स्थापति उद्योगों में फैक्ट्री कानून एवं न्यूनतम वेतनमान बढ़ोत्तरी कर उसे लागू किये जाने,
4. राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को ठीक किये जाने ,
5. उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 का उल्लंघन न किये जाने,
6. भू-अध्यादेश को समाप्त किये जाने,

7. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में जंगली जानवरों एवं हाथियों से जानमाल की सुरक्षा हेतु प्रबन्ध किये जाने,
8. राज्य की स्थाई राजधानी के संबंध में तत्काल निर्णय लिये जाने,
9. विधान सभा भवन का आवश्यकता अनुसार विस्तार कर निर्माण किये जाने,
10. विधायकों के वेतनमान एवं भत्तों में बढोत्तरी किये जाने,
11. जनपद हरिद्वार के खेड़ी शिकोपुर में सोलानी नदी पर पुल का निर्माण किये जाने,
12. जनपद हरिद्वार के मजाहदपुर सर्तावाला- लामग्रन्ट में रतमऊ नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
13. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में मानकों के अनुरूप राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना करने,
14. जनपद हरिद्वार के चुड़ियाला एवं भगवानपुर में स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
15. राज्य में प्राईमरी पब्लिक स्कूलों पर अंकुश लगाने की नीति का निर्धारण किये जाने,
16. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों में सड़कों एवं नाली, बिजली की व्यवस्था किये जाने,
17. ग्राम पंचायतों को समुचित धन उपलब्ध कराये जाने,
18. स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत जिला स्तर पर निर्धारित बजट आवंटन विधायकों की संस्तुति पर किये जाने,
19. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में सरकार द्वारा कृषि योग्य भूमि के कटाव को रोकने की समुचित व्यवस्था किये जाने,
20. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में मेडिकल कालेज की स्थापना करने,
21. बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से किये जाने,
22. घरेलू बिजली के बिलों पर सरचार्ज माफ करने एवं किसानों के बिल माफ किये जाने,
23. कुटीर ज्योति कनेक्शन के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों के बिल माफ किये जाने,
24. बी0पी0एल0 सूची के आधार पर खाद्यान एवं तेल चीनी का वितरण किये जाने,
25. स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का समुचित बजट 18 प्रतिशत के आधार पर निर्धारित किये जाने,

26. स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस0सी0पी0) के धन का दुरूपयोग रोकने हेतु अलग से विभाग बनाकर निदेशालय स्थापित किये जाने,

27. सन् 1973 एवं 1976 के आसामी पट्टा धारकों को भूमिधरी का हक दिये जाने,

28. हरिद्वार जनपद को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने,

29. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में मानकों के आधार पर सरकारी अस्पतालों का निर्माण किये जाने,

30. जनपद हरिद्वार के बुग्गावाल में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत स्टेडियम का निर्माण किये जाने,

31. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में सड़कों का निर्माण किये जाने,

32. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में सिंचाई के साधन सरकारी ट्यूबवैल, नाबार्ड की सहायकता लेकर लगाये जाने,

33. गन्ना किसानों का गत वर्षो का भुगतान घोषित मूल्य के आधार पर किये जाने, तथा

34. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में आई0आई0एम0 का तत्काल निर्माण किये जाने।

8. श्री प्रेमानन्द महाजन

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में रह रहे बंगाली नमः शूद्र, पौण्ड, माझी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिये जाने,
2. नये मार्गों के निर्माण,
3. पुरानी सड़कों की मरम्मत,
4. खेती के लिये स्वीकृत ट्यूबवेलों के निर्माण,
5. बेशकीमती कृषि भूमि के भू-कटाव पर नियंत्रण,
6. बेरोजगारों को रोजगार देने,
7. जनपद उधमसिंह नगर के हल्दी, पन्तनगर में सुपरफास्ट ट्रेन रोकने,
8. जनपद उधमसिंह नगर के पन्तनगर-गदरपुर विधान सभा क्षेत्र में खराब नलों को ठीक करने
9. जनपद उधमसिंह नगर के पन्तनगर-गदरपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों की विद्युत लाइनों के पुराने तारों को बदलने, तथा
10. गन्ना किसानों को भुगतान देने।

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी "ङ"

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।

भारत-भाग्य-विधाता।।

पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा

द्राविड़-उत्कल-बंग।

विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,

उच्छल-जलधि-तरंग।।

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे।।

गाहे तव जय गाथा।।

जन-गण-मंगलदायक जय हे,

भारत-भाग्य-विधाता।।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय, जय हे।।